समाचार

11 जुलाई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

(निगम के जलकर, स्वच्छता कर बकायादार प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं आपसी राजीनामा से)

कोरबा 10 जुलाई 2015 –शानिवार 11 जुलाई 2015 को जिला न्यायालय परिसर कोरबा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। निगम के जलकर, स्वच्छता कर के बकायादार प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के द्वारा करा सकते हैं तथा बकाया राशि जमा कर सकते हैं।

आयुक्त श्री आलोक चन्द्रवंशी ने बताया कि 11 जुलाई 2015 को जिला न्यायालय परिसर कोरबा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें निगम के जलकर एवं स्वच्छता कर (यूजर चार्जेज) के बकायादारों के प्रकरण वसूली हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। उन्होने समस्त जलकर, स्वच्छता कर के बकायादारों से कहा है कि यदि वे आपसी राजीनामा के द्वारा प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हैं, तो वे लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने जलकर, स्वच्छता कर बकाया संबंधी मामले का राजीनामा कराकर बकाया राशि जमा करा सकते हैं।